

## उत्पीड़न रोकथाम/सम्मान और जिम्मेदारी

उद्देश्य

स्टीफिकेस की यह अपेक्षा है की हमारे सभी स्थानों पर उत्पीड़न मुक्त तथा अच्छे व्यवहार के माध्यम से काम का सुयोग्य वातावरण होने के साथही सम्मान का वातावरण हो। हम यह सुनिश्चित करते हैं की देश के वातवध कानून और नियमों का पालन करेंगे तथा विरूरत पड़ने पर हम हर एक नियम के अनुसार काम करेंगे।

स्टीफिकेस सभी कममचारियों को रोजिगार के समान अवसर प्रदान करता है और उन में एकदसरे के प्रति सम्मान और विश्वास बहाल करने पर जोर देता है, जिहां कममचारियों को उत्पीड़न से मुक्ति के साथ दसरो के उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं।

उत्पीड़न विरुध व्यवस्थापन या सहकारी से हो यह विोगों के सम्मान के प्रति कंपनी की योनिना के विपरीत होता है। इन में कई बात शातमि है तथा नस्ि, रंग, धम्म, राष्ट्रीय म, विं, आयु, शारीरक या मानसक विास ता, यौन अभावनयास, यौन पहचान या अनुभवी स्थित से किसी भी स्थित या वगम के आधार पर उत्पीड़न तक सीतमत नहीं है, जो दबोव महस करने के लिए एक व्यक्ति का नेतृत्व करता है, धमकी दी या अपमानत करना भी शातमि है।

ऐसी स्थित में व्यवस्थापन की ओर से पता चिने के पर तुरंत कायमवाही करते हुए दोषी पर अनुशासनात्मक कायम वाही की विीकसी भी तरह से एक अच्छे विश्वास के नाते शकायतकताम के लिए नौकरी के नुकसान का चिांच पर परणाम नहीं होगा।

भिये ही यौन उत्पीड़न या विगातार छोट्टी छोट्टी बातों से उत्पीड़न हो रहा है या आप को यह गंभीरता से चिने योग्य नहीं विगता तो, घटना की आवृती, बार बार होनेके विा गुनहा या आक्रमकता के पैटनम को या व्यवहार को उत्पीड़न माना विाएगा।

उत्पीड़न की व्याख्या यह है की ऐसा बर्ाव वििसका कोई उद्देश्य या उसका परणाम हो विैसे -

- डराना, शत्रुताप म, या आक्रमक वातावरण का तनमाण करना

- व्यक्ति के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने हेतु उसके कायम में अनुचित हस्तक्षेप करना
- या इस से दसरे वं व्यक्ति के रोगिगार को नुकु सान पहचु ाना

यौन उत्पीड़न का मतििब यह है की तकसी भी अवांछत यौन प्ाथलमकता देना, यौन िे वर या अन्य मौतितिक या यौन प्कृत के शारीरिक आचरण के तिए अनुरोध ििब तनचें तद गई घटनाओं में से कोई भी सच हो:

- तकसी व्यक्ति के रोगिगार के बारे में आचरण करते हुए स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से बात करना.
- तकसी व्यक्ति द्वारा आचरण प्रस्तुत करना तिससे व्यक्ति की रोगिगार तवषयक तनणमय पर नकारात्मक असर करने में ििबू करना.
- ऐसा कायम करना तिससे व्यक्ति के कायम में बाधा ििाने हेतु व्यक्ति के सम्मान या उस व्यक्ति में डर या श्मत्वातावरण तनमाण करना.

तनमनतितित आचरण की मनाई की गई है -

- गित तरीके का बतामव

- गति तटपणी करना
- यौन संबंधीत गति बात करना
- अनचाहा स्पशम करना
- डेट पर िाने हेतु बार बार तबनती करना या दबाव ड़ािना
- आगे बढ़ना
- प्रस्ताव रिना
- यौन संबंधीत अपमान या गािीगिौि करना
- व्यक्ती के शरीर के बारे में गति भाषा का प्रयोग करना
- यौन संबंधीत मांग करने वंाि शब्दों का प्रयोग करना या यौन संबंधीत गािीगिौि करना
- यौन या ििंग से संबंधीत गति व्यंग करना
- यौन भावना भङ्काने वंािे तत्र या वस्तु का प्रदशम करना

प्रतबन्धीत आचरण में यौन तवचारों को उत्तेरित करने तथा अपमानिनक कायम िैसे -

- ततरछी नरि से देिना
- सीटी बिनना
- उत्तेिक आवाि तनकािना
- गति इशारे करना
- गति स्पशम के साथ ही कामोत्तेिक स्पशम करना
- चूटकी िेना
- गति उद्देश्य से शरीर को स्पशम करना
- यौन दृष्टी से मारना
- बिरदस्ती कामोत्तेिक कायम करना

उत्पीडन की अन्य पध्दतीयां

उत्पीडन के सारे उदाहरण िो अनुत्त है उन्हे सटीिके स में सहन नहीं तकया िाएगा इन में तननतित कियों का समावेश है -

मौतिक उत्पीडन -

- मिका: आक्रमक पध्दती से मिका करना, सहयोगी या कमचारी पर भरी तटपणी करना, तकसी के बोिने या उनकी भाषा पध्दती का मिका उडाना।
- गति िानकारी िै िाना: तकसी व्यक्ती या ग्रुप के बारे में अिवाहे िै िाना या गति िानकारी का िै िाव करना
- समृिकारक: दूर सरों पर धारमिक र्िचारों का लागू करना; शत्रुतापूर्क कंरि िातारि बनाने के उद्देश्य से दूर सरों का धमिाधार पर अिांरि त बातचीत रा गत्रिर्धरों में शारमल हने रा आमोंरत करने के र्ए आमोंरत करना।
- बदनामी: तकसी व्यक्ती या/और सम के बारे में अपमानिनक तथा अपमानत होने िेसी तटपणीयां करना।
- गति नाम से बुिाना: कमचारी या सहकारी को अपमानिनक नाम से

पुकारना, जिससे कुछ लोगों को सम्मान प्राप्त होगा पर कुछ कममचारी या सहयोगीयों के लिए नहीं, उन्हें गरीब कामगारों की तरह पुकारना.

- धमकाना: मौखिक धमकी देना, कममचारी या सहकारीयों के लिए आपत्तीनक शब्दों का प्रयोग करना, उनके उत्पीड़न हेतु निोकॉि करना.
- अिवाहेः : किसी व्‍यक्ती के बारे में गित या/और आपत्तीनक अिवाहेः िै िाना.
- धमकाना: किसी व्‍यक्ती या व्‍यक्ती समुह के बारे में अपमान िनक तथा गािी से युक्त शब्दों का प्रयोग करना.

गैर-मौलिक

उत्पीड़न

ता का

टिप्पणी, विराब काटूम स, आक्रामक या घृणा के प्रतीक  
ग्राहक टिप्पणी या अन्य ग्राहक चर्चा में कॉमन एरर या

- दृष्टि स्वरूप -  
कामकू कम्प्यू  
र पर  
तद्विना

- यातना देना - कमचारी या सहकारी के साथ ऐसा बर्ताव करना की जिस से उसे तकलीफ हो, हर तकसी व्यक्ति का मर्यादा उड़ाने के साथ भेदभाव प म व्यवहार करना.
- स्पशम: कमचारी या सहकारी के शरीर के कुछ संवेद नशील तहसों को काम या अन्य भाव से स्पशम करना.
- अविगाव: तकसी सहकारी या कमचारी तक पहुचने से अवरोध करना, या संसाधनों की पेशकश करने से इनकार करना या उन्हे सहयोग ना देना.

अनुशासन :

इस तनती का उल्लंघन करने पर कमचारी पर ाही की जा सकती है, इन में नौकरी से अनुशासनात्मक कर्मसकता है। तनका भी जा

उत्पीड़न की रपटिंग

सभी कमचारीयों ने इस पॉलिसी पर अमति करना चाहए तथा उत्पीड़न के मामलों को सामने विना चाहए. कोई भी कमचारी जो तवशास करता है की वे उत्पीड़न के शकार हुए है या उन्होंने इस के बारे में देखा है तो वह नीचे तदए गए पयमों के माध्यम से संपकम कर सकते है -

१. एच आर प्रतनधी

२. स्टीफिके स इंटरटी हेल्पिं (य स के टिपिटो फ्री १८०० ४३७ ६१६७ और अन्य देशों के टिपिए

integrity.steelcase.com) पर संपकम करें

३.

सुपरवाई

रि४.

तवभाग

प्रमुति

५. स्थानीय तनयमों के अनुसार तवशेष स्थानीय प्रतनधी विैसे स्पेसिफिक इंट नमि  
ऑटिसर या कमचारी प्रतनधी

उत्पीड़न के बारे में रपटिंग आप गोपनीय पध्दतीचे इंटरटी विंन पर कर सकते हैं पर अगर आप नाम बताते है तो सुयोग्य समय पर आपकी घटना के बारे में विनकारी विंटाना स्टीफिके स के टिपिए आसान होगा. तिर भी कुछ देशों में स्थानीय तनयमों

और कानों के अनुसुार गोपतनयता नहीं री विा सकती. ऐसी तस्थती में आप को घटना बताते हए आपकी पहचान बतानी

रिस्की होती है.

कोई भी तशकायत हो तो हो सके उतनी लिद्दी उसे उागर करना चााहए तवशेष रूप से घटना के एक हफते से पहिेेे. सभी तशकायतों की िांच की िाएगी, िर उसकी िानकारी कब तमिी हो. पर स्तीिके स चांि कठोरता से कर सके गा और समय समय पर िािो अप िे सके गा, यह तब ही मुमाकन होगा िब घटना की िानकारी लिद्द से लिद्द दी िाए.

िांच

िांच अंतगमत तम के नेतृत्व मेेे की िाएगी, ििस मेेे एचआर, िीगि, कॉपोरेट तसक्यूरट्टी, िोबि ऑडिट और स्थानीय तयमेेे के अनुसार स्थानीय परततनधी िेसे कममचारी शातमि होंगे. इस िांच के दौरान कई बार शामीि व्यक्तियों और अगर उपिब्ध होंगे तो सब ों की िांच होगी. िांच करनवािी तम आधकतर िानकारी गोपनीय रिेगी. अगर िरूरत पडती है तो हम बाहरी काऊन्सेि या ििवीसट/ भाषांतरकारों की सेवा भी िांच के दौरान िे सकतेेे है.

उाचत कायमकाही -

मुािकात के बाद िो तनकशम सामने आगा उसका एक ररपोटम बनाया िाएगा तथा उसकी िांच उत्पीडन की सभी के सस का

अध्ययन करनेंवांिी तटम को तदया िाएगा. (इन मेें एचआर, िीगि, कॉपोरेट तसक्युरस्टी और ििोबि ऑडिट का समावेश है). तटम की ओर से सामने आए तथ्यों के अनुसार तनणमय तकया िाएगा. उहोंने िो त्नाकशम तकया है उसके तबनाह पर वेें चेतावनी, अतशक्षण या त्नाकासन और नौकरी से तनकािना िैसे तनणमय ििए िा सकते है.

कममचारीयों पर िी कायमवाही ना भी दी िा सकती है तथा िी सहायता की मांग हो तो स्थनीय कानूनों का की स उत्पीडीत कममचारी द्वारा का के अनुसार कायम भी तकया िा सकता है. कं पनी की ओर से कानूनी या नागरी कायम ाही मेें कोई हस्तक्षेप नहीं तकया िाएगा.

इस परतकया के दौरान इस के स पर काम करनेंवांिे एचआर प्ोिे शन संपकम बनाए र्िेेंगे अगर परतकया के ििए कोई प्पुछनेें हो, आप से िुडना हो या तनणमय के बाद िोिो अप करना हो तो आप से तनणमय होनेें के तीन माह के दौरान आप से संपकम तकया िा सकता है.

एतसस्टेेंट सुपरवाईसिम, टेम्पेरी सुपरवाईसिम, िीड पसमन, जोन िीडसिम और उस के उपरी स्तर के व्कतीओं सहत सुपरवाईसिम के उपर अपन सहकमीयों के साथ उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे इस की त्मिेदारी होगी. इनके अिावा सुपरवाईसिरों द्वारा तकसी भी प्रकार के उत्पीडन का मामिा सामने आते ही काम करनेें की िरूरत है. कं पनी द्वारा उत्पीडन के मामिों को िानबुझकर या अनिाने मेें अनदेिा करनेंवांिे कममचारीयों पर कानूनी कायमवाही भी की िा सकती है.

व्यवस्थापन के सभी स्तरों की त्मिेदारीयां-

- अपनेें सहयोगीयों के साथ संभाषण करतेें समय उनका कोई उत्पीडन नहीं कर रहा यह सुतनतित करना.
- ििों आप को आशंका हो की यहा उत्पीडन हो सकता है वहां तुरंत कायवाही करना.
- अगर आप के पास उत्पीडन की त्शकायत आती है या आप को ििगता है या उत्पीडन का आरोप ििगता है तब तुरंत उस पर अमिे करेें.

िानकारी इकला करना, उत्पीडन की त्शकायत आती है या आनेें की संभावना ििगती है तो उनकी िानकारी र्िनेें की ह्युमन रसोसिम की त्मिेदारी है, तथा त्शकायत के मामिे मेें सुयोग्य काय ाही करनेें की भी उनकी त्मिेदारी है त्शकायत के समाधान होनेें पर त्शकायत से संबंथत सभी कागिातों को कॉन्वसेंट डेटाबेस मेें संभािकर र्िना चातहए. चीि ऑि डईवतसमटी को उत्पीडन के िी पध्दती से दी िाएगी. तद ििोबि बारेें मेें िानकारी या कम्इस ह्युमन रसोसिम त्वभाग की ओर स पॉिसी के तहत सभी त्शकायतों को संभािकर र्िा िाएगा.

इस पॉिसी पर रेड युतनयन्स, वकम काऊत्सल्स या ििरूरत पडनेें पर स्थानीय कममचारी

संघठनों के साथ चर्चा करने के बाद बताया है.

यह पॉलिसी कममचारियों के कॉन्टैक्ट का हिसा नहीं है और उसे समय समय पर बदला जाएगा.